



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072025-264628
CG-DL-E-14072025-264628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3051]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3051]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3121 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 246 किमी से 271 किमी के NH39, 239.4 किमी से 246 किमी के NH39 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH39 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अनुविभागीय अधिकारी गुड,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH39	मध्य प्रदेश	रीवा	गूड	1 खाम्हा

	राजस्व	के कि.मी 246 से कि.मी 271 तक			
2	अनुविभागीय अधिकारी हुजूर राजस्व	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH39 के कि.मी 239.4 से कि.मी 246 तक	मध्य प्रदेश	रीवा	हुजूर 1 गडरिया

[फा. सं. 1944/2022-G3, Dated.05.07.2022/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3121(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 246 to Km. 271 of the NH39, Km. 239.4 to Km. 246 of the NH39 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MADHYA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH39 in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Officer Gurh, Revenue	NH39 KM 246 TO KM 271	MADHYA PRADESH	REWA	Gurh	1 Khamha
2	Sub Divisional Officer Huzur Revenue	NH39 KM 239.4 TO KM 246	MADHYA PRADESH	REWA	Huzur	1 Gadariya

[F. No. 1944/2022-G3, Dated.05.07.2022/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director